न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 07/2018 | तारीख दायर 13–09–2018 | तारीख फैसला 20/04/22

उनवान

01. फुलसिंह
02. भीमसिंह पुत्रान स्व0 श्री टोडाराम जाति अहीर निवासी ग्राम असलीमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

----:: अपीलान्ट

बनाम

01. ग्राम पंचायत बिरामपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

------:: रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 25.08.1982

इंतकाल संख्या 158 वाके ग्राम असलीमपुर

–:: निर्णय ::–

सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि इंतकाल संख्या 158 वाके ग्राम असलीमपुर तहसील तिजारा ग्राम बिरामपुर के आदेश के विरूद्व पेश की जा रही है। विवादित इंतकाल संख्या 158 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 113 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा में से 1/3 भाग वाके ग्राम असलीमपुर तहसील तिजारा को मिन अपीलान्ट में से 1/3 भाग वाके ग्राम असलीमपुर तहसील तिजारा को मिन अपीलान्ट व भाई इन्दर, नन्दराम पुत्रान टोडाराम जाति अहीर ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया है। वक्त खरीद से मिन अपीलान्ट खरीदशुदा अपने हिस्से की भूमि पर काबिज व दाखिल है। मिन अपीलान्टस ने रेस्पोडेन्ट को बयनामा की प्रति दे दी और उन्होने इंतकाल दर्ज करने का आश्वासन दिया। रेस्पोडेन्ट ने सहबन से मिन अपीलान्ट के पिता टोडाराम के स्थान पर सहबन से तेजराम का विवादित इंतकाल संख्या 158 दर्ज व मंजूर करते दर्ज कर दिया और इसी गलत नाम के अनुसार ही मिन अपीलान्ट व उसके भाईयों के नाम के बाद पिता का गलत नाम तेजराम का अंकन चला आ रहा है। जबकि मिन अपीलान्टस के पिता का सही नाम टोडाराम है तथा बयनामा में भी सही नाम टोडाराम का ही अंकन है। जिससे अपीलान्ट के हकूकों पर कुठाराघात होता है व मिन अपीलान्ट अपनी आराजी के संबंध में पिता का गलत नाम दर्ज होने के कारण लोन, बेचान इत्यादि करने में असमर्थ है। ग्राम पंचायत बिरामपुर जरिये रेस्पोडेन्ट ने इंतकाल दर्ज करते समय ना तो कोई नोटिस जारी किया और ना ही चौपाल पर कोई इश्तहार चिपकाया बल्कि गलत तौर पर विधि विरूद्व तरीके से मिन अपीलान्ट के पिता गलत नाम तेजराम का अंकन कर दिया है। जो आदेश सरासर गलत है एवं कानून के खिलाफ है, जो एकपक्षीय आदेश है। इसलिए उक्त इंतकाल संख्या 158 में मिन अपीलान्ट के पिता का गलत नाम अपास्त किया जाकर सही नाम टोडाराम का अंकन किया जाना उचित एवं न्यायासंगत है। अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य आदेश इंतकाल संख्या 158 दर्ज व स्वीकार दिनांक 25.08.1982 में मिन अपीलान्टस के

पिता का गलत नाम तेजराम का अंकन किया गया है उसे निरस्त करं नये सिरे से इंतकाल दर्ज कर मिन अपीलान्ट के पिता का सही नाम टोडाराम दर्ज करने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

अपीलान्टा द्वारा प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम निम्न प्रकार पेश किया है कि विवादित इंतकाल संख्या 158 का आलौच्य आदेश दर्ज व स्वीकार दिनांक 28.05.1982 व प्राप्त करने दस्तावेजात व जानकारी से पेश करने अपील हाजा तक का समय न्यायहित में कन्डोन फरमाने की कृपा करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। नोटिस की तामील के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित रहे इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली पर अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि इंतकाल संख्या 158 दिनांक 25.08.1982 में दर्ज अपीलान्ट के पिता का नाम तेजराम गलत दर्ज किया गया है उसे बयनामा के आधार पर सही किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया गया। अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर इंतकाल संख्या 158 स्वीकार दिनांक 28.05.1982 को प्राप्त करने नकल व पेश करने अपील तक का समय न्यायहित में कन्डोन किया जाता है व संशोधन करना न्यायोचित है।

अतः तहसीलदार तिजारा को निर्देशित किया जाता है कि इंतकाल संख्या 158 स्वीकार दिनांक 28.05.1982 वाके ग्राम असलीमपुर अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार तिजारा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में बयनामा के संबंध में विस्तृत जांच की जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)